Health Department

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष

राज्य के आम जरूरतमंद, असाध्य रोग से ग्रसित रोगियों के लिये जिनका प्रतिवर्ष आय एक लाख रूपये से कम है– मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान देने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, जिसकी प्रारम्भिक पूँजी 5.0 करोड़ रूपये की होगी। इस सहायता कोष से निम्नलिखित असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु कंडिका–3 एवं 4 में अंकित राशि अनुदान के रूप में दी जा सकेगीः–

	रोगों का नाम	अनुदान की राशि रूपये में	
		राज्य के अन्दर चिकित्सा	राज्य के बहार चिकित्सा
1	2	3	4
कैंसर रोग	शल्य चिकित्सा सहित	40000	60000
हृदय रोग	शल्य चिकित्सा सहित	20000	25000
	डी0भी0आर0		130000
	Avr एम0 भी0 आर0	90000	91000
	PACE MAKER	50000	50000
	एसटोनेसिस/बैलुनभ	25000	25000
	CABG	60000	60000
	PTCA	85000	85000
	ASD	35000	37000
	शल्य चिकित्सा सहित		150000
	लघु शल्य क्रिया	15000	15000
	वृहत शल्य क्रिया	25000	25000
एड्स		50000	50000
टोटल हिप अथवा नीरिपलेसमेन्ट		15000	20000
स्पाईनल सर्जरी		10000	15000
मेजर वासकुलर सर्जरी		20000	25000
बेन मैरो टान्सप्लान्ट		25000	25000

इस सचूी में अंकित अन्य रोगों के अतिरिक्त किसी अन्य रागे को भी मान्य करने के लिए निदशेक प्रमुख की अध्यक्षता में गठित अधिकृत समिति सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लेगी।

Health Department

असाध्य रागे से पीड़ित व्यक्ति को भुगतेय अनुदान की राशि संबंधित चिकित्सा संस्थान को रेखांकित चेक के माध्यम से दी जाएगी।

अनुदान प्राप्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएँ

(क) रोगी बिहार का नागरिक हो।

(ख) रोगी की प्रति वर्ष आय एक लाख रूपये से कम हो।

(ग) रोगों से सबंधित चिकित्सा राज्य सरकार के अस्पताल एवं सी०जी०एच०एस० से मान्यता प्राप्त सभी अस्पताल में हो।

रोगी द्वरा अनुदान प्राप्ति के क्रम में दिए जाने वाले आवश्यक कागजात की सचूी

(क) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र।

(ख) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय प्रमाण–पत्र।

(ग) राज्य सरकार के अस्पताल अथवा सी०जी०एच०एस० से मान्यता प्राप्त अस्पताल का चिकित्सा पूर्जा एवं मलू प्राक्कलन ।

नाटे :–1. आय प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकरी या अनुमडंल पदाधिकारी या अचंलाधिकरी से ही प्राप्त हानेा चाहिए।

2.आवेदक को सभी उपर्युक्त कागजात के साथ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को अनुदान हेतु आवदेन समर्पित करना होगा।